न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी — झंवर लाल, (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 156/2025

अनवान

1. शंकर लाल खटीक पुत्र श्री देबी लाल खटीक नि0 मंगरोप तह0 तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. शिवराम खटीक पुत्र श्री देबी लाल खटीक नि0 मंगरोप तह0 तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

——प्रार्थीगण

बनाम

1. चांदमल पुत्र श्री बाबू लाल भांभी नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2. विजया पुत्री श्री बाबू लाल भांभी नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
3. सूरजमल पुत्र श्री बाबू लाल भांभी नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
4. सुशीला पत्नी श्री बाबू लाल भांभी नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)**(डिलीट)**
5. श्रीमती जय श्री मारू पत्नी श्री बनवारी लाल भांबी(मारू) नि—केयर/ऑफ देवी सिंह राजपूत 74/75 सुखवाल किराणा स्टोर के पास वाली गली, जवाहरनगर, भीलवाडा तहसील एवं जिला भीलवाडा(राज0)
6. अर्जुन पुत्र श्री बनवारी भांबी आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती जय श्री मारू पत्नी श्री बनवारी लाल भांबी(मारू) नि—केयर/ऑफ देवी सिंह राजपूत 74/75 सुखवाल किराणा स्टोर के पास वाली गली, जवाहरनगर, भीलवाडा तहसील एवं जिला भीलवाडा(राज0)
7. शुभम पुत्र श्री बनवारी भांबी नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती जय श्री मारू पत्नी श्री बनवारी लाल भांबी(मारू) नि—केयर/ऑफ देवी सिंह राजपूत 74/75 सुखवाल किराणा स्टोर के पास वाली गली, जवाहरनगर, भीलवाडा तहसील एवं जिला भीलवाडा(राज0)
8. प्रेम पुत्री मांगी लाल भांबी नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हमीरगढ़, जिला—भीलवाड़ा

———अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन</u>

उपस्थित :::—

श्री कैलाशचन्द्र आचार्य —— प्रार्थी अधिवक्ता
अप्रार्थी संख्या 01 से 03 व 05 से 09 अनु0
अप्रार्थी संख्या 09 राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ़

<u>निर्णय</u>

दिनांकः:— 12.05.2026

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 25.10.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि यह है कि प्रार्थीगण के खातेदारी हक

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

अधिकारी की कृषि आराजियात सरहद मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मंगरोप तह0 हमीगरढ जिला भीलवाडा(राज0) मे आराजी नम्बर 1316/2,1316/1,1317,1318 स्थित है। जो प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज है। यह कि प्रार्थीगण की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि सरकारी रास्ता आरा जी नम्बर 1478 मंगरोप–हमीरगढ़ रोड़ से होकर विपक्षी संख्या 01 लगायत 08 की आराजी नम्बर 4263/1321 की पश्चिमी मेड के राहारे होकर अपनी आराजी नम्बर 1318, 1316/1, 1316/2, 1317 गे आते जाते है, मौके पर प्रार्थीगण ने लोहे की फाटक भी लगा रखी है। उक्त रास्ते से प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात गे आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भौजूद नही है। पूर्व के खातेदार भी इसी रास्ते से आते जाते थे यह है कि प्रार्थीगण की उक्त आराजियात मे आने जाने का एकभात्र रास्ता व अत्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है व विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 08 की नियत गे फितुर पैदा होने व प्रार्थीगण की आराजियात को हड़प करने की गरज रास्ते में अवरोध पैदा कर पक्का निर्माण कर रास्ता अवरूद्ध करने पर आगादा है। जबकि विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 08 को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है व विपक्षीगण को दिनांक 10 सितम्बर 2025 दो हजार पच्चीरा को रास्ता खुलासा रखने व रारता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तौर इंकार हो गये। जबकि विपक्षी संख्या 01 लगायत 08 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 01 लगायत 08 जबरन प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से आवागमन करने में बाधा पैदा कर रहा है व रास्ते को बंद करने पर आमादा है। यह है कि उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज नही है। उक्त रारता बाबत मौके की रिपोर्ट तलब फरमा, उसके आधार पर नियमानुसार राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज करने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है साथ ही विपक्षीगण को पांबद किया जाये कि उक्त रास्ते मे अवरोध पैदा नहीं करे। यह है कि उपरोक्त खातेदारो से प्रार्थीगण ने आपसी सहमति के आधार पर रास्ता लेने का प्रयास किया, परन्तु हम अपने इस प्रयास मे सफल नही हो पाये है। जिससे उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। यह है कि उक्त आराजी सरहद मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे स्थित होने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय के क्षेत्र एवं श्रवणाधिकार का होने से आप न्यायालय के समक्ष पेश है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आपके माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए की उपधारा (1) के अधीन हमारी सरहद मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 1316/2, 1316/1, 1317, 1318 में आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता जो कि सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 1478 मंगरोप–हमीरगढ़ रोड़ से होकर विपक्षी संख्या 01 लगायत 08 की आराजी नम्बर 4263/1321 की पश्चिमी मेड़ के सहारे होकर अपनी आराजी में आते अपनी आराजी मे आते जाते

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

है से 20 फीट नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया अप्रार्थी संख्या 01 से 03 व 05 से 08 अनुपस्थित होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारीत किये गये। प्रकरण में वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 04 का नाम डिलीट किया जाने का निवेदन किया उक्त प्रा0पत्र को स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 04 का नाम डिलीट किये जाने की आज्ञा पारीत की गई ।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार हमीरगढ को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार हमीरगढ ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

प्रकरण में तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट से यह अवगत कराया है कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिंक का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थी के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है। तहसीलदार द्वारा **मौजा मंगरोप प0ह0 मंगरोप भू0अ0नि0 मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज) स्थित अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा संख्या 4263/1321 रकबा 0.2150 है0 में से 0.0378 है0, भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।**

वकील प्रार्थी ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। वकूलाय फरिकेन द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट के विश्र्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि–

1. **रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता :– प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच का कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नही है।**
2. **प्रार्थी के लिए सबसे निकटतम/सुगमतम मार्ग प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग ही है। जो राजस्व/नजरी नक्शे के अवलोकन से सिद्ध भी हुआ है।**
3. **रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक से यह अवगत कराया गया है कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त मौके पर अन्य वैकल्पिक मार्ग का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थी के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है।**

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

4. प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निर्बाध आवागमन के लिहाज से सबसे निकटतम व सुगमतम रास्ता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें व रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। फिर भी अप्रार्थी को न्यूनतम क्षति/असुविधा हो एवं उनका कम से कम रकबा प्रभावित हो इसे दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रार्थी के लिए प्रस्तावित किए गये खसरान में से 5 मीटर चौडाई का नवीन मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्यायालय पर्याप्त एवं आवश्यक समझता है।

अतः मौजा मंगरोप प0ह0 मंगरोप भू0अ0नि0 मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज) स्थित अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा संख्या 4263/1321 रकबा 0.2150 है0 में से 0.0378 है0, नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायपूर्ण मानता है।

—:: आदेश ::—

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके मौजा मंगरोप प0ह0 मंगरोप भू0अ0नि0 मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज) स्थित अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 व 05 से 08 के खातेदारी **खसरा संख्या 4263/1321 रकबा 0.2150 है0 में से (63X6=378) वर्गमीटर यानि रकबा 0.0378 है0**, मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल–दरामद किया जावें।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब तहसील हमीरगढ में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार प्रभावित रकबा **0.0378** हैक्टेयर **(378 वर्गमीटर)**, की मालियत राशि की दो गुना राशि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 व 05 से 08 (आराजी संख्या 4263/1321 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में अदायगी कर दी जावेगी अथवा राजकोष में जमा करा दी जावेगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(झंवर लाल, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला-भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
(राज.)